

41/2022

धनी

कई अहकाम

५१९ नाथू

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवर
	118/24	<p>पत्रावली पेश। वकील वादी मय वादीया उपस्थित आये। वकील वादी ने अपना मूलवाद विद्वा जा. पत्र प्रेश कर खारिज करवा लिया है इस; अब जा. पत्र अर्चार्ड निषेधाज्ञा का आगे चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है पत्रावली कुलल शुमार होकर दर्ज नम्बर स कर है दाखिल दफ्तर रहे।</p>	



क. धनी

gudhy

118/24

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-बुध